निर्णय ब–इजलास जगरूरूप सिंह यादव, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 35/2007 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये सुरेन्द्र सिंह बारेठ, प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री भूरा पुत्र श्री भवासी, जाति तेली, निवासी 21, बालाजी विहार, वैघजी का चौराहा, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर।
2. श्री हमीद पुत्र श्री भगोली, जाति तेली भवासी, निवासी प्लाट नम्बर 24, बाजाली विहार, वैघजी का चौराहा, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर।
3. श्री दीनू पुत्र श्री भूरा, जाति तेली, निवासी 21, बालाजी विहार, वैघजी का चौराहा, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 657.750 लीटर नीले केरोसीन से तैयार नकली डीजल को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

जिला कलक्टर जयपुर

निर्णय दिनांक 10-10-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 29.10.2007 को प्लाट नम्बर 24, बालाजी विहार, वैघजी का चौराहा, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर पर नीले केरोसीन से नकली डीजल बनाकर बिक्री करने की सूचना प्राप्त होने पर बहमराह प्रर्वतन स्टाफ एवं पुलिस स्टाफ पुलिस थाना झोटवाडा के साथ मौके पर पहुच कर जांच की गई। उक्त प्लाट नम्बर 24 में एक कमरा बना हुआ है जिस पर छत की जगह त्रिपाल लगा रखा है, छत नही है, उसमें तीन–चार व्यक्ति थे। जांच दल को देखकर तीन व्यक्ति वहा से भाग गये तथा मौके पर श्री भूरा पुत्र श्री भवासी उपस्थित रहे। उन्होने बताया कि उनके द्वारा नीले केरोसीन से डीजल बनाने का कार्य किया जाता है। श्री भूरा ने बताया कि कलवा पुत्र श्री रोशन उसका भतिजा है जो गांव से मिलने आया है तथा श्री दीनू उसका पुत्र है तथा हमीद रिश्ते में उसका भान्जा लगना बताया है। श्री भूरा ने बताया कि केरोसीन दीनू व हमीद ही खरीदकर लाते है। जांच के दौरान 5 लोहे के ड्रम में कुल 660 लीटर नीले रंग का केरोसीन से बनाया हुआ नकली डीजल मिला है जिसमें से सैम्पल लिये गयेहै। मौके पर सफेद पाउडर का एक कट्टा जिसमे 4 किलोग्राम सफेद पाउडर है तथा एक खोपरे (नारीयल) का कट्टा है जिसमे 8 किलोग्राम खोपरा है। श्री भूरा ने बताया कि यह पाउडर व खोपरा नीले रंग के केरोसीन में डालते है जिससे रंग बदलता है तथा केरोसीन चिकना हो जाता है। मौके पर एक तराजू, 1 किलोग्राम

लोहे का बांट, दो रबड पाईप, एक कीप, एक जग, एक आयल का खाली डिब्बा तथा लोहे के दो खाली ड्रम एक आधा कटा हुआ तथा दुसरे के उपर पुरा ढक्कन कटा हुआ था। उक्त व्यक्तियों द्वारा नीले केरोसीन क्रय कर उससे नकली डीजल बनाकर विक्रय कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) का आदेश 1976 व केरोसीन उपभोग पर निर्बन्धन (अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 के प्रावधानो का उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः मौके पर सैम्पल से शेष 657.750 लीटर नीले केरोसीन मय बारदाना व अन्य सामान को जब्त कर श्री मोहर सिंह ए.एस.आई. पुलिस थाना झोटवाडा की सुपुर्दगी में दिया गया तथा थाना झोटवाडा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 875/07 दर्ज करवा दी गई। अतः जब्तशुदा 657.750 लीटर नीले केरोसीन से बनाया गया नकली डीजल व अन्य सामान मय बारदाना को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं केरोसीन ज्वलनशीन एवं जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त केरोसीन ज्वलनशील एवं जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 11.02.2014 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देशित किया गया कि जब्त केरोसीन को नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। नोटिस अप्रार्थी जारी किये गये। अप्रार्थी एक की ओर से अभिभाषक श्री बृजपाल सिंह निवार्ण ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब हेतु समय चाहा। जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त जवाब पेश नहीं करने पत्रावली बहस हेतु नियत की गइ। बहस हेतु नियत पेशी पर अप्रार्थी एवं उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये । अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । पत्रावली में बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि निरीक्षण दुकान में केरोसीन स्टॉक रजिस्टर में दर्ज इन्द्राज के अनुसार 164 लीटर केरोसीन होना चाहिये था। भौतिक सत्यापन करने के लिये दो लोहे के अलग–अलग ड्रमों में रखे गये नीले केरोसीन तेल को दुकान में उपलब्ध गेज (केरोसीन नापने का यंत्र) की सहायता से नापा गया तो एक ड्रम में 75 लीटर व दुसरे ड्रम में 110 लीटर केरोसीन तेल पाया गया। वितरण रजिस्टर में वितरण शून्य पाया गया। इस प्रकार भौतिक सत्यापन करने पर 21 लीटर केरोसीन तेल स्टॉक में अधिक पाया गया। डीलर द्वारा इस बाबत कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) का आदेश 1976 के अन्तर्गत प्राधिकार पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः जब्तशुदा 21 लीटर नीले केरोसीन को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं केरोसीन ज्वलनशीन एवं जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावे।

जिला कलक्टर जयपुर

5. हमने पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 29.06.2007 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

6. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नीला केरोसीन राशनकार्ड धारियों को वितरण किया जाता है जिनका स्टॉक अन्य के द्वारा स्टॉक किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा बिना अनुज्ञापत्र के नीला करोसीन अवैद्य रूप से क्रय कर भण्डारित किया गया है। मौके पर अन्य सफेद रंग का पाउडर व खोपरा भी पाया गया है। जिससे केरोसीन में मिलावट की जा वक कालालाबाजारी किये जाने की पुष्टि होती है। अतः जप्त शुदा 657.750 मिलावटी नीला करोसीन को राजवाात किया जाना वाजिब समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है प्रकरण में अप्रार्थीगण के कब्जे से शुदा 657.750 मिलावटी नीला करोसीन एवं अन्य सामग्री को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है।
8. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त केरोसीन के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 05.11.2007 को पारित किये जा चुके है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।
9. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।
10. निर्णय आज दिनांक 10-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर